*सदाचार और कारपोरेट गवर्नेंस: नियामक दृष्टिकोण**

दीपाली पंत जोशी

प्रस्तावना

सबसे पहले, मैं आयोजकों को इस सामयिक विषय को चुनने के लिए बाधाई देती हैं, यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी के लिए सोचनीय है। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के निदेशक, डॉ. संदीप घोष और कंपनी सचिव संस्थान के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और साथ ही, मैं अपने प्रिय मित्र प्रशांत सरण को उत्कृष्ट शुरूआती संबोधन के लिए भी धन्यवाद देती हैं जो इस पैनल को दिशा प्रदान करता है।

सुरक्षा करने वालों की सुरक्षा कौन करेगा?

पिछले दो दशकों से कारपोरेट गवर्नेंस बहुत अधिक जनहित से जुड़ा रहा है, आज इसकी व्यापक स्तर पर सराहना की जाती है कि यह निगमों और बड़े समाज के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण है। विशेष रूप से, पिछले कई वर्षों से समाचार पत्र कारपोरेट सदाचार के अभाव से संबंधित निराशाजनक खबरों को मुख्य खबर के रूप में छाप रहे हैं: सत्यम, इनरॉन, गिरते स्टाक बाजार, कारपोरेट की असफलता, संदिग्ध लेखा प्रणाली, कारपोरेट शक्ति का दुरुप्रयोग, अपराधिक जांच इस बात को दर्शाते हैं कि समस्त आर्थिक प्रणाली, जिस पर निवेश से होने वाली आय निर्भर करती है, दुर्बलता और दबाव का संकेत कर रही है और जिसने निवेशक के विश्वास को कमजोर कर दिया है। अधिकांशतः यह माना जाता है कि नियत्रंण और संतुलन जिन्हें हमारे हित की रक्षा करनी चाहिए, को एक किनारे कर दिया गया, विशेष रूप से, लाभ के पीछे लगातार भागने की अपरिहार्य जरुरत को दखते हुए, कुछ असफलताएं कपटपूर्ण लेखाकंन और अन्य गैर-कानूनी कार्यप्रणाली का परिणाम थी और अन्य असफलताएं मात्र खराब गवर्नेंस का परिणाम थी।

कंपनी बोर्ड अथवा वृद्ध लोगों का समूह?

कंपनी बोर्ड का स्तर गिरकर एक आरामदेह क्लब की भांति हो गया अर्थात बॉस के मित्र, जो उसके निर्णयों पर मुहर लगाने के लिए मिलते हैं। मैंने फ्लाइट में दि इकानॉमिस्ट (07 दिसंबर) मैगजीन पढ़ रही थी जिसमें एक वाक्यांश बहुत ही रोचक था। आलोचक ने निदेशकों की तुलना 'सेन्हा मछली' जो सजावटी होती किंतु प्रभावहीन होती है: अथवा अवैतनिक कर्नल, परेड में विभूषक होता है किंतु युद्ध में पूर्णतःनिष्फल होता है, से की है। राल्फ नाडर इन्हें 'बेवफा' (ककओल्ड) कहते हैं जिन्हें प्रबंधकों द्वारा की गई गलती का पता सबसे बाद में होता है।

वर्ष 2000 के प्रारंभ में कारपोरेट घोटालों ने बोर्ड को मजबूर किया कि बोर्ड और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। 2002 का सरबेन-औक्सले अधिनियम और 2003 में न्यूयार्क शेयर बाजार के नए नियमों के अनुसार निदेशकों को धोखाधड़ियों और सेल्फ डिलिंग को रोकने के लिए अधिक जिम्मेदार बनाया गया। इससे बोर्ड की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। किंतु, इससे फार्म-भरने और फार्म में दिए गए खानों को टिक करने में बहुत अधिक शक्ति बर्बाद करनी पड़ी। अनेक समान कंपनियों में हित संबंधी विवाद, अनुभवहीन निदेशक, सतही स्तर पर आकर्षक पारितोषिक अथवा असमान मताधिकार की सहभागिता जैसे वास्तविक कारपोरेट गवर्नेंस जोखिम पैदा हुए हैं। इस प्रकार के घोटाले और बुरे आचरण को देखते कारपोरेट गवर्नेंस पर जोर देना दोबार शुरू किया गया है।

कारपोरेट गवर्नेंस पर ओईसीडी की परिभाषा

'कारपोरेट गवर्नेंस एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से कारोबार निगमों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस संरचना निगम में बोर्ड, प्रबधंकों, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के अधिकार और जिम्मेदरियों का निर्धारण करती है और कारपोरेट संबंधी कार्यों में निर्णय करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करती है। इससे यह ऐसी व्यवस्था देती है जिसके जरिए कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और इसके साथ-साथ उन उद्देश्यों को प्राप्त करने और कार्य-निष्पादन की निगरानी करने के लिए साधन प्रदान किए जाते हैं।'

इस प्रकार, कारपोरेट गवर्नेंस में अपने शेयरधारकों और समाज के साथ कंपनी का रिश्ता; निष्पक्षता, पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देना; ऐसे प्रबंधकों को '*शासित*' करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई प्रमुख हितधारक समूहों के हित के अनुकूल हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं जैसे - पारदर्शिता और जबावदेही का मुद्दा,

* 11 दिसंबर 2013 को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान, कोलकाता में भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यपालक निदेशिका डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी द्वारा दिया गया भाषण।

कानूनी विनियामक वातावरण, समुचित जोखिम प्रबंधन उपाय, सूचना प्रवाह, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी इत्यादि।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10 में निदेशक मंडल से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्हें निम्नलिखित विषयों पर विशेष ज्ञान अवश्य होना चाहिए :

- लेखाविधि
- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- अथवा अन्य कोई विषय, रिज़र्व बैंक के सुझाव के अनुसार विशेष ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान जो बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी हो, बशर्ते कि उपर्युक्त निदेशकों की संख्या में से दो निदेशक को कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता अथवा लघु उद्योग से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए और उनका कोई (i) महत्त्वपूर्ण हित अथवा वे कमचारी, प्रबंधक अथवा प्रबंधन एजेंट से किसी भी रूप में संबंधित नहीं होने चाहिए।
- कोई कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत न हो, अथवा
- कोई भी फर्म, जो किसी प्रकार का व्यापार, वाणिज्य अथवा उद्योग करती हो और जो लघु उद्योग प्रतिष्ठान न हो, दोनों स्थिति में, अथवा (ii) किसी ट्रेडिंग का प्रोपराइटर अथवा वाणिज्यक अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, न कि लघु उद्योग प्रतिष्ठान हो।

निदेशक मंडल में मताधिकारों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि बैंकिंग प्रतिष्ठान के लिए सभी हितधारकों के कुल मताधिकार का 20 प्रतिशत अधिशेष की स्थित में मताधिकार करने के लिए अधिकतम तीन निदेशक ही पात्र हो।

अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर निदेशक की अवधि लगातार आठ वर्षों तक सीमित है।

बोर्ड का अध्यक्ष (पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त) अथवा बैंकिंग प्रतिष्ठान का प्रबंध निदेशक और किसी निदेशक (बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त) के लिए बैंकिंग प्रतिष्ठान की पात्रता शेयरों की धारिता की जरुरत नहीं होगी।

रिज़र्व बैंक के पास किसी बैंकिंग कंपनी में एक अथवा दो व्यक्तियों को अतिरिक्त निदेशक के पद पर समय-समय पर नियुक्त करने का अधिकार है, यदि इस बात पर सभी सहमत हो कि यह बैंकिंग नीति/जनहित/बैंकिंग कंपनी जमाकर्ताओं के हित में हैं, बैंकिंग कंपनी के लिए यह भी जरुरी हो सकता है कि यदि सब सहमत हो कि चुने गए वर्तमान अध्यक्ष इस कार्य को करने में एक योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति नहीं हैं तो अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव अथवा नियुक्ति की जा सकती है।

कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी भारिबैं के दिशा-निर्देशों के अनुसार कारपोरेट गवर्नेंस की जरुरत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो कि बैंकों में कारपोरेट गवर्नेंस का आधार हैं।

बैंक को अर्हता और तकनीकी ज्ञान के जरिए बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित उनकी उपयुक्तता के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार को भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की नियुक्ति 'योग्य और निष्पक्ष' मानदंड़ों के आधार पर करनी चाहिए।

बैंकों द्वारा लोगों को जारी शेयरों के अनुपात में शेयरधारक नामिती का चुनाव करना चाहिए, बशर्ते कि ऐसे बैंकों जिनमें बैंक की चुकता पूंजी का 40 प्रतिशत तक का हिस्सा लोगों की निर्गम पूंजी से जुटाया गया हो, अधिकतम 6 नामिती निदेशक चुने जा सकते हैं।

पद पर कार्य करने और अवशिष्ट अवधि में निहित निम्नलिखित मानदंड़ों को पूरा करने पर कार्यपालक निदेशक (कानि) निदेशक मंडल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने के लिए पात्र है।

कार्यपालक निदेशक की संख्या से संबंधित दिशा-निर्देश - ₹1.5 लाख करोड़ से कम कारोबार रखने वाले छोटे बैंकों में दो कार्यपालक

निदेशक हो सकते हैं जिसमें मानव संसाधन विकास और तकनीकी की जिम्मेदारी दूसरे निदेशक की होती है। ₹3 लाख करोड़ से अधिक कारोबार रखने वाले बड़े बैंकों में तीन कार्यपालक निदेशक हो सकते हैं जिसमें मानव संसाधन विकास और तकनीकी की जिम्मेदारी तीसरे निदेशक की होती है।

मैं आंध्रा बैंक के बोर्ड में निदेशक रही हूँ, मैंने पाया कि बैंकों के बोर्डों की प्रतिरक्षा अनेक समिति के जरिए की जाती है - प्रबंध समिति, ऋण अनुमोदन समिति, लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, बड़े मूल्य की धोखधड़ी की निगरानी करने वाली समिति/ धोखाधड़ी निवारण समिति, आस्ति प्रबंध समिति, ग्राहक सेवा समिति, शेयर अंतरण समिति, पारिश्रमिक समिति और इन्हीं के समान अनेक समितियां और फिर भी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन और कारपोरेट गवर्नेंस की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक बनी हुई है।

उप गवर्नर, डॉ चक्रबर्ती ने हाल ही में अपने संबोधन (बैंकॉन संबोधन) में कहा है कि पुनर्संरचित आस्तियों में आगे गिरावट तभी आती है जब निश्चित रूप से मूल्यांकन प्रणाली कमजोर होती है, पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ (आरएआरओसी) की गणना सही नहीं होती है। निश्चित रूप से, कारपोरेट गवर्नेंस पर अधिक ध्यान देने की जरुरत है।

पर्यवेक्षक के रूप में विनियामक

वैश्विक दृष्टि से, बैंक सबसे अधिक वित्तीय मध्यस्थता करते हैं और इनमें लिवरेज की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग सस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के जरिए बैंक गवर्नेंस में सीधे भूमिका अदा करता है। प्रणालीगत और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के चलते इसकी बहुत अधिक भूमिका होती है। निक्षेप बीमा के प्रतिकूल संरक्षण के चलते बैंक अधिक लिवरेज होने का लाभ उठाते हैं जो मजबूत प्रबंधन संबंधी उनके प्रोत्साहन को कमजोर करता है। वे ऐसा मानते हैं कि उनका आकार इतना बड़ा हैं कि वे विफल नहीं होंगे।

भले ही, मौजूदा बॉसेल मानदंड जोखिम प्रबंधन और प्रबंधन पर अधिक जोर देते हो, किंतु बैंक के पर्यवेक्षक बैंकों के बोर्ड को प्रमुख जिम्मेदार बनाए और बोर्ड की प्रभाविकता का मूल्यांकन करें। विनियामकीय और पर्यवेक्षी प्रणाली जो सूचनाओं का प्रकटीकरण अधिक वास्तविक रूप में करती है और निजी निवेशकों को कानूनी अधिकार प्रदान करती है, वस्तुतः बैंकिंग प्रणाली और लाभप्रदता को बढ़ावा देती है। बड़े निवेशक बैंक और अन्य हितधारकों के हित में बोर्ड के विरुद्ध फार्म में फेर-बदल कर सकते हैं।

बैंक पर्यवेक्षक का कार्य निश्चित ही बहुत दुष्कर कार्य होता है। सूचनाओं की असममिति सभी क्षेत्रों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है किंतु यह वित्त में, मुद्रा उत्पाद अथवा अन्य सेवा बाजार में सतही तौर पर सबसे अधिक होती है, कुछ नए के लिए क्रेता विनिमय में मुद्रा व्यय करते हैं। वित्त में, मुद्रा का विनिमय भविष्य में भुगतान करने के वचन के साथ किया जाता है। अनेक उत्पादों अथवा सेवा बाजारों में यदि बेचा गया उत्पाद जैसे - कार अथवा बाल तराशना, में कोई खामी हो तो क्रेता उन्हें अपेक्षाकृत तुरंत जान जाता है। जबकि, ऋण की गुणवत्ता को जानने में थोड़ा समय लगता है और इसमें खामी अधिक समय तक छिपी रह सकती है। बैंक अधिकांश गैर-वित्तीय उद्योगों की तुलना में अपनी आस्तियों की जोखिम संरचना को तुरंत बदल सकते हैं। बैंक ऐसे ग्राहकों को गोपनीय ढंग से और ऋण देकर समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं जो पूर्व में लिए गए ऋण नहीं चुका सकते हैं। अधिकांश क्षेत्र जहां इनवेंटरी अर्थात चाहे कार हो अथवा कंप्यूटर, बहुत अधिक मात्रा में जमा होते हैं, तो यह कंपनी के कार्य-निष्पादन के संबंध में सामान्यतः नकारात्मक संकेत होता है किंतु जब बैंक में मुद्रा रूपी इनवेंटरी अधिक जमा हो जाती है तो यह और अधिक तरल अर्थात सकारात्मक संकेत होता है।

इसको सुलझाना बहुत ही कठिन कार्य है चाहे वह एक नकारात्मक संकेत है अथवा जोखिम पूर्ण वातावरण में प्रबधंन द्वारा की गई एक विवेकसंगत प्रतिक्रिया हो। कारपोरेट गवर्नेंस बैंकों के लिए मजबूत विनियामकीय ढांचा आवश्यक घटक है। विनियामकीय प्रतिक्रिया सदाचार के लिए अपरिहार्य होती है।

क्या कारोबार का कार्य मात्र कारोबार करना है?

मिल्टन फ्रायडमैन का मत था कि सामान्यतः कारपोरेट कार्यकारणी का उत्तरदायित्व समाज जो कानून में सम्मिलित हो और जो आचार संबंधी रीति-रिवाज में सम्मिलित हो, दोनों के मूलभूत नियमों को स्वीकार करते हुए यथासंभव पैसा कमाना होता है। इसका उद्देश्य खपत और उत्पादन को उच्चतम सीमा तक पहुंचाना होता है। 'कारोबार का मतलब कारोबार ही करना है।' यह कोई स्वयं सिद्ध बात नहीं है, जिससे हर कोई सहमत हो सकता है। यदि आप कंपनियों के कारोबार के बारे में ऐतिहासिक रूप से विचार करें तो

इसमें उपनिवेशवाद और दासता का समावेश मिलता है! इसलिए, सदाचार के घटक कारोबार कार्मिक और संगठनात्मक आचार दोनों के आधार होने चाहिए।

सदाचार के औपचारिक आचार

संगठन के सक्षम गवर्नेंस से संबंधित अनेक मुद्दे कोई नए मुद्दे नहीं हैं, जिस परिवेश में इनका सामना किया जा रहा है, आज वे पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। अनेक कंपनी ऐसी कानूनी अनुपालन व्यवस्था को अपना रही है जो औपचारिक दस्तावेजों में सदाचार अथवा आचार संबंधी मुद्दों का समाधान करती है।

भारिबैं सदाचार@कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता जो भारिबैं के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, के सहयोग से अपने लिए आचार-संहिता बनाई है जिसे हमने सदाचार@कार्य नाम दिया है। आप पूछ सकते हैं कि सदाचार-नियमावली किस लिए है? और मैं सदाचार-नियमावली के निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख करता हूँ :

सदाचार-नियमावली निम्नलिखित को बढ़ावा देती है:

- सहकर्मियों के बीच समता की भावना को;
- अपनी संस्था के लिए कार्य करने में गर्व और लगन को;
- व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, जो कि संस्था के साथ ही जुड़ी होती है।

सदाचार-नियमावली में निम्नलिखित अपेक्षाए की गई हैं:

- स्वीकार्य व्यवहार के लिए क्या सही है, को परिभाषित करना और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना।
- हमें आशा है कि यह कार्यप्रणाली के उच्च मानदंड़ों को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करेगी।
- और स्व-मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क भी स्थापित करेगी।
- वृत्तिक व्यवहार और उत्तरदायित्वों के लिए मेनफ्रेम तैयार करेगी।
- व्यावसायिक पहचान संबंधी आदर्शों का अनुभव कराएगी जिन्हें हम स्पष्ट रूप से मान सकते हैं।

संगठन में हमारे नए कर्मचारियों को बैंक की कार्यप्रणाली को अपनाने में सदाचार के लिखित आचार लाभदायक होंगे और कर्मचारी प्रशिक्षण के साधन के रूप में कार्य करेंगे। इनका किसी प्रकार का उल्लंखन करने पर अनुशासनात्क कार्रवाई की जाएगी। इससे विवाद और मतभिन्नता को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। सदाचार के आचार की कसौटी के संबंध में नैतिक दुविधाओं, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से होने वाली मतभिन्नताओं का आसानी से समाधान होगा। यह संगठन से कर्मचारियों की अपेक्षाओं को स्पष्ट करती है और इसका आधार पूर्ण पारदर्शिता है। यह कारोबार आचार और सदाचार की औपचारिक संहिता है जिसे सभी कर्मचारियों को पूर्णतः पालन करना है। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इनका पालन करें।

कई संगठनों में सदाचार अधिकारी भी होते हैं किंतु विश्लेषण करने पर पाया गया कि सदाचार व्यवहार की बुनियाद कारपोरेट संस्कृति और नीतियों के अनुरूप नहीं है। सदाचार किसी भी व्यक्ति के नैतिक प्रशिक्षण, बचपन में माता-पिता और स्कूल के अध्यापकों द्वारा दिए गए संस्कारों में निहित होते हैं जो कि न केवल वैयक्तिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं बल्कि समग्र रूप से प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी परिवेश और समाज को भी प्रभावित करते हैं।

समापन

बुनियादी स्तर पर, सदाचार की दृष्टि से कारपोरेट गवर्नेंस के प्रमुख मुद्दों में संबंध बनाने और विश्वास हासिल करने (संगठन के भीतर और बाहर दोनों पक्षों) से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। अरस्तू ने नेकोमेकियन एथिक्स में उल्लेख किया है कि यदि समाज की व्यवस्था केंद्रीयकृत हो तो यह 'अन्यायपूर्ण' है।

एथिक्स शब्द ग्रीक भाषा के एथोज से बनता है और इसमें सदाचार और नैतिकता- संगठन के आचार और संस्कृति दोनों शामिल होती है। इसलिए, यह सर्वव्यापी होती है और इसे सर्व व्यापक होना चाहिए।